न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग – 376 – II / 16

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

1. संतोष
2. रामप्रकाश
3. विजयराम
4. मोहन सिंह

पुत्रगण गुलाब निवासी ग्राम लरायटा

तहसील व जिला–दतिया म.प्र.

विरूद्व

1. रामकिशुन
2. गोटीराम पुत्रगण टुंडे राम
3. मलखान सिंह पुत्र आशाराम जाति यादव

ग्राम लरायटा तहसील जिला–दतिया

श्री .... द्वारा आज दि 27-1-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-1-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपर कलेक्टर जिला–दतिया द्वार प्रकरण क्रमांक 16/वी–121/15–16 में पारित आदेश दिनांक 20–01–2016 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अपर कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के अनुरूप न होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, आवेदकगण की भूमि का क्षेत्रफल बन्दोबस्त के पूर्व 0.834 था बन्दोबस्त के उपरांत सर्वे क्रमांक 214, 218, 221 एवं 222 निर्मित किये गये परंतु उसका भूमि का क्षेत्रफल 0.770 खसरे में अंकित करते हुये उनकी आकृति नक्शे में छोटी बना दी गयी इस त्रुटि को सुधारने के लिये आवेदकगण ने विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 15–03–2005 को उक्त आवेदन स्वीकार किया गया.

3. यह कि, अनावेदको ने अनुविभागीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरूद्व कलेक्टर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार करते हुये प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया क्योंकि आवेदकगण की भूमि के नक्शे का भी सुधार होना था अतः अनुविभागीय अधिकारी ने अपनी टिप के साथ संहिता की धारा–107 (5) के अंतर्गत कार्यवाहीं हेतु प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अग्रेषित कर दिया.

4. यह कि, कलेक्टर न्यायालय में कार्यवाहीं प्रारंभ होने पर आवेदकगण ने संहिता की धारा–52 के अंतर्गत आवेदन देकर प्रार्थना की कि अनावेदकगण उपरोक्त त्रुटि के आधार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 376–दो / 16 **जिला** –दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
9.02.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित । उनके द्वारा अपर कलेक्टर जिला दतिया के प्रकरण कमांक 16 / बी–121 / 15–16 में पारित आदेश दिनांक 20.1.2016 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि बन्दोवस्त के दौरान सर्वे कमांक 214, 218, 221, एवं 222 निर्मित किये गये परन्तु उसका भूमि का क्षेत्रफल 0.770 खसरे में अंकित करते हुये उनकी आकृति नक्शे में छोटी बना दी गई इस त्रुटि को सुधारने के लिये आवेदकगण ने विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया दिनांक 15.3.2005 को उक्त आवेदन स्वीकार किया गया है। 3– अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया है कि दिनांक 30.12.15 को अपर कलेक्टर जिला दतिया ने स्थगन दिया गया था लेकिन 20.1.16 को बिना सुनवाई किये स्थगन आदेश समाप्त कर दिया तथा जांच के आदेश दिये । जब पूर्व में स्थगन आदेश दिया गया था सभी बिन्दुओं पर विचार किया गया था। जब मौके पर विवाद की स्थिति निर्मित है तब उन्हें जांच के दौरान पूर्व दिये गये अपने स्थगन को जांच अवधि तक यथावत रखे जाना चाहिये था।	

R- 376-II/16 दतिया

4- प्रकरण एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 20.1.16 के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि अपर कलेक्टर ने शांति भंग होने की संभावना होने पर उभयपक्ष को बाउण्ड ओवर करने की कार्यवाही हेतु तहसीलदार को निर्देश दिये हैं । साथ ही प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह में जांच प्रतिवेदन मांगा है। यह निगरानी राजस्व मण्डल में एक सप्ताह होने के पूर्व ही दिनांक 24.1.16 को प्रस्तुत कर दी गई है।

5- उपरोक्त के प्रकाश में मैं यह निगरानी इस न्यायालय से अग्राह्य करता हूँ तथा अपर कलेक्टर को यह निर्देश देता हूँ कि:-

(एक) वे अपने न्यायालय के संबंधित प्रकरण का यथा शीघ्र विधिवत निराकरण करें।

(दो) जिस तरह उन्होंने स्थगन देने के संबंध में बोलते स्वरूप का आदेश जारी किया है उसी तरह वे स्थगन समाप्त करने के संबंध में भी उचित आदेश बोलते स्वरूप में ही पारित करें, यदि प्रकरण का अन्तिम निराकरण उन्होंने अभी तक नहीं किया हो तो। साथ ही यह ध्यान रखें कि 3 माह से अधिक का स्थगन किसी समय पर ना दें । पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

9.2.16

सदस्य